ई–मेल / समयबद्ध

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
''व्यवस्थापन 'घ' वर्ग'' उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in **E-Mail-eicpwduk@nic.in**

पत्रांकः– 100 / 196व्यघ–सामान्य / 16 दिनांकः– 30/ 01 / 2020

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय / राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु / ए0डी0बी0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / वर्ल्ड बैंक,
लोक निर्माण विभाग,
....।

विषयः– **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल / प्राविधिक / विद्युत / यांत्रिक) की संविदा अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत् कराना है कि शासकीय पत्र संख्या 440 / ।।। (1) / 19–75(अधि0) / 2007 दिनांक 07.03.2019 द्वारा 226 एवं शासकीय पत्र संख्या 1768 / ।।।(1) / 19–75(अधि0) / 2007 टी0सी0 दिनांक 12.12.2019 द्वारा 126 (कुल– 352) कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता संविदा (सिविल / प्राविधिक / विद्युत / यांत्रिक) जिनके द्वारा विगत वर्षों में संविदा पर सन्तोषजनक सेवा की गयी है, उनकी संविदा अवधि जो कलैण्डर वर्ष 2019 के संगत माहों में समाप्त हो चुकी है, के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन कलैण्डर वर्ष 2019 के माह जनवरी एवं संगत माहों / तिथि से एक दिन का अवरोध देते हुये अग्रेत्तर एक वर्ष के लिये संविदा अवधि बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल / प्राविधिक / विद्युत / यांत्रिक) की संविदा अवधि कलैण्डर वर्ष 2020 के माह जनवरी एवं आगामी संगत माहों / तिथि से एक दिन का अवरोध देते हुये अग्रेत्तर एक वर्ष हेतु बढ़ाये जाने के लिये प्रकरण शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः उपरोक्त के कम में निर्देश दिये जाते हैं कि आपके एवं अधीनस्थ वृत्त / खण्डीय कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप के अनुसार विगत वर्ष में सम्पादित किये गये कार्य का सन्तोषजनक प्रमाण पत्र एवं विगत वर्ष की सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (मूल में) संकलित कर प्राथमिकता के आधार पर 15 दिन के भीतर विशेष वाहक के माध्यम से अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। जिन कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) द्वारा विभाग छोड़ दिया गया हो उसकी सूचना भी अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें।

संलग्न :– यथोपरि (प्रारूप)

30/01/2020
(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

30.01.20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रारूप की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता संविदा के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना उक्तानुसार संकलित कर उचित माध्यम से इस कार्यालय को समयान्तर्गत उपलब्ध करवाना सुनिश्चित् करें :–

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ... वॉ वृत, लोक निर्माण विभाग, ...।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ... खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ...।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

ई–मेल / समयबद्ध

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
''व्यवस्थापन 'घ' वर्ग'' उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 100 / 196व्यघ–सामान्य / 16 दिनांकः– 30 / 01 / 2020

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय / राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु / ए0डी0बी0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / वर्ल्ड बैंक,
लोक निर्माण विभाग,
.... ।

विषयः– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल / प्राविधिक / विद्युत / यांत्रिक) की संविदा अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत् कराना है कि शासकीय पत्र संख्या 440 / ।।। (1) / 19–75(अधि0) / 2007 दिनांक 07.03.2019 द्वारा 226 एवं शासकीय पत्र संख्या 1768 / ।।।(1) / 19–75(अधि0) / 2007 टी0सी0 दिनांक 12.12.2019 द्वारा 126 (कुल– 352) कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता संविदा (सिविल / प्राविधिक / विद्युत / यांत्रिक) जिनके द्वारा विगत वर्षों में संविदा पर सन्तोषजनक सेवा की गयी है, उनकी संविदा अवधि जो कलैण्डर वर्ष 2019 के संगत माहों में समाप्त हो चुकी है, के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन कलैण्डर वर्ष 2019 के माह जनवरी एवं संगत माहों / तिथि से एक दिन का अवरोध देते हुये अग्रेत्तर एक वर्ष के लिये संविदा अवधि बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल / प्राविधिक / विद्युत / यांत्रिक) की संविदा अवधि कलैण्डर वर्ष 2020 के माह जनवरी एवं आगामी संगत माहों / तिथि से एक दिन का अवरोध देते हुये अग्रेत्तर एक वर्ष हेतु बढ़ाये जाने के लिये प्रकरण शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः उपरोक्त के कम में निर्देश दिये जाते हैं कि आपके एवं अधीनस्थ वृत्त / खण्डीय कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप के अनुसार विगत वर्ष में सम्पादित किये गये कार्य का सन्तोषजनक प्रमाण पत्र एवं विगत वर्ष की सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (मूल में) संकलित कर प्राथमिकता के आधार पर 15 दिन के भीतर विशेष वाहक के माध्यम से अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। जिन कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) द्वारा विभाग छोड़ दिया गया हो उसकी सूचना भी अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें।

संलग्न :– यथोपरि (प्रारूप)

(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रारूप की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता संविदा के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना उक्तानुसार संकलित कर उचित माध्यम से इस कार्यालय को समयान्तर्गत उपलब्ध करवाना सुनिश्चित् करें :–

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ... वॉ वृत, लोक निर्माण विभाग, ... ।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ... खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ... ।

30/01/2020

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

30.01.20

सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती .... जो कि इस कार्यालय में कनिष्ठ अभियन्ता (....................) के पद पर संविदा के रुप में कार्यरत है के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रकरण नही है, जो कि इनकी सत्यनिष्ठा में संशय उत्पन्न करता हो तथा इनकी दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदनाम
कार्यालय का नाम

सन्तोषजनक कार्य प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती .... जो कि इस कार्यालय में कनिष्ठ अभियन्ता (....................) के पद पर संविदा के रुप में कार्यरत है द्वारा दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक किये गये कार्य सन्तोषजनक श्रेणी के है। उक्त अवधि में इनके विरुद्व को जांच / अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचालित नही है।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदनाम
कार्यालय का नाम